

No. HQ/PIO/RTI/89/14

Date: 07.04.2014

**Sh. Shakti Singh Chauhan,**

Shakti Kunj, Railway Line Ke Paas,  
Subhash Nagar,  
Byawar Road, Ajmer.

**Sub:** Information under RTI Act- 2005.

**Ref:** Your application dt. 25.03.2014, received in this office on 04.04.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त पैरावाईज सूचना निम्नलिखित है:-

- 5(i) डीएफसी मालभाडे रेल ट्रैक के लिए अवाप्त की गई गांव सराधना, तबीजी, दौराई, थोकमालियान, किरानीपुरा, मदारपुरा व रसूलपुरा की भूमि के मुआवजे हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी अभिनिर्णय (अवार्ड) की प्रति सीपीएम/अजमेर कार्यालय में सम्बंधित फाइलो को अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक शुल्क जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- 5(ii) पैरा संख्या 5(i) में उल्लेखित गांव में जो भूमि अवाप्त कि गई है उसकी मुआवजा राशि की सूचना सीपीएम/अजमेर कार्यालय में सम्बंधित फाइलों को अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक शुल्क जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- 5(iii) DFCCIL अजमेर के क्षेत्राधिकार में बनने वाले मालभाडे ट्रैक के लिए धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु Western DFC के Funds से सम्बंधित सूचना हमारी अधिकृत वेबसाइट [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org) पर public domain में उपलब्ध है।
- 5(iv) डीएफसीसीआईएल, द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे, मण्डल कार्यालय, अजमेर को रेलवे की भूमि हेतु अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। एवं रेलवे क्वार्टर व अन्य संरचनाओं को हटाने के एवज में भुगतान की गई राशि की सूचना सीपीएम/अजमेर कार्यालय में अलग-अलग फाइलों में उपलब्ध है उनका अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक शुल्क जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- 5(v) रेलवे फाटक पर बनने वाला ROB का कार्य NWR के अधीन आता है।

(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to: CPM/Ajmer

**DESTROYED**  
2014